प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनाँक 07.03.21

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयीः-

करामाती गिलास के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा, 01 करामाती गिलास, 05 छोटे बल्ब व ठगी के 5000 रुपये नगद सहित 04 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री विजय ढुल के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 07.03.21 को थाना सिंगाही पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 62/21 धारा 420/406/342/504/506/411 भादवि में वांछित 04 अभियुक्तों 1. जमील अहमद 2. रफीक 3. कफील 4. आबिद को गिरफ्तार किया गया जिनकी निशानदेही पर अभियुक्त जमील के घर से ठगी में प्रयुक्त 01 अदद करामाती गिलास, 05 अदद छोटे बल्ब व ठगी के 5,000 रुपये नगद बरामद किया गया। अभियुक्तों द्वारा वादी मुकदमा से करामाती बल्ब बेचने के नाम पर 05 लाख रुपये के ठगी की योजना बनायी गई थी।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों का विवरण :-

1. जमील अहमद पुत्र अब्बास नि0 ग्राम बेनीपुरवा थाना सिंगाही खीरी
2. रफीक पुत्र नजरु नि0 पुखारी थाना सिंगाही खीरी
3. कफील पुत्र रहमत नि0 सिसैया थाना धौरहरा जिला खीरी
4.आबिद अंसारी पुत्र इलियास अंसारी नि0 माहिम दरगाह थाना माहिम जिला मुंबई

बरामदगी

01 अदद करामाती गिलास रंग कांसे जैसा (तय की गई कीमत 5 लाख रुपये)
05 अदद टंगस्टन एवररेडी टार्च वाले छोटे बल्ब
ठगी कर लिये गये 5000/-रुपये नगद

पुलिस टीम

1. श्री प्रदीप कुमार सिंह (थानाध्यक्ष सिंगाही)
2. उ0नि0 श्री बाबूराम
3. हे0का0 राजमंगल सिंह
4. का0 सुशील कुमार
5. म0का0 नीलम सैनी

<u>खुद ही रची खुद के अपहरण की साजिश</u>

दिनांक 07.03.21 को थाना गोला पर वादी रविन्द्र सिंह पुत्र जोगिन्दर सिंह निवासी कन्धईपुर थाना मैलानी जनपद खीरी ने सूचना दी कि उनके जीजा जसपाल सिंह उम्र लगभग 55 वर्ष पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी रामपुर गोकुल थाना गोला जनपद खीरी दिनांक 06.03.21 को अपने घर से मोटरसाइकिल से गोला गए थे जो वापस घर नही लौटे। शाम 17:00 बजे उनके पुत्र रंजीत के मोबाइल पर गुमशुदा पिता जसपाल द्वारा स्वयं कॉल कर बताया गया कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनका अपहरण कर लिया गया है तथा 25 लाख रुपये की फिरौती की मांग की गई है।

सूचना पर थाना गोला पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री विजय ढुल द्वारा क्राइम ब्रान्च को घटना के अनावरण हेतु निर्देशित किया गया।

क्राइम ब्रान्च द्वारा मोबाईल सर्विलांस एवं ह्यूमन इंटेलिजेन्स की सहायता से जसपाल सिंह उपरोक्त को बेहजम-कस्ता मार्ग से आज प्रात: सकुशल बरामद किया गया। पूछताछ में जसपाल सिंह द्वारा बताया गया कि उन पर 22 लाख रुपये का कर्जा है, जिसको चुकाने के लिए इनके द्वारा खुद ही अपने अपहरण की झूँठी सूचना दी गई और फिरौती के रुप में 25 लाख रुपये इकट्ठा करने को कहा गया। इनका प्लान था कि परिजनों/रिश्तेदारो से फिरौती की धनराशि प्राप्त कर कर्जा एक मुश्त उतार दिया जायेगा और बाद में धीरे-धीरे सबके पैसे वापस कर देगें। झूठी सूचना देने एवं जालसाजी करके पैसे प्राप्त करने के प्रयास के आरोप में जसपाल को गिरफ्तार करके अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुलिस टीम के उत्साहवर्धन हेतु 5,000 रुपये का पुरस्कार की घोषणा की गई।

<u>पुलिस टीम का विवरण :-</u>

1. उ0नि0 शिव कुमार (क्राइम ब्रान्च)
2. हे0का0 शराफत अली
3. का0 देवेन्द्र यादव
4. का0 रविन्द्र त्रिपाठी
5. का0 अजीत यादव
6. का0 योगेश तोमर
7. का0 विक्रान्त
8. का0 सिकन्दर
9. का0 तुषार

जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा 295 लीटर अवैध शराब, 08 अवैध शराब भट्टी बरामद कर 23 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री विजय ढुल के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 06.03.21 को संपूर्ण जनपद में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध वृहद स्तर पर सघन अभियान चलाया गया।

अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए 23 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत 23 अभियोग पंजीकृत किये गये। 08 अवैध शराब भट्ठी सहित 295 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गयी। साथ ही मौके पर भारी मात्रा में लहन भी नष्ट किया गया।

<u>थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस सहित अभियुक्त राम लड़ैते को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षम में संपूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध संपूर्ण जनपद में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त राम लड़ैते पुत्र प्रभुदयाल नि0 नयागांव थाना मैलगंज जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0 108/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

थाना हैदराबाद पुलिस द्वारा 425 ग्राम चरस व अवैध तमंचा व कारतूस बरामद कर 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षम में संपूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध संपूर्ण जनपद में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना हैदराबाद पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1. मुनीश पुत्र जंगू निवासी ट्यून खुर्रमनगर थाना मोहम्मदी जिला खीरी 2. अनिल पुत्र मलखान निवासी कैथा पुरवा थाना मंझिला जनपद हरदोई को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से 425 ग्राम अवैध चरस तथा 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0 57/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व मु0अ0सं0 58/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

<u>थाना भीरा पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस सहित अभियुक्त सोनू को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षम में संपूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध संपूर्ण जनपद में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना भीरा पुलिस द्वारा अभियुक्त सोनू पुत्र रामचन्द्र नि0 ग्राम बिजुआ थाना भीरा खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0 76/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

<u>वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन मे व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों/वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए निम्नलिखित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

- थाना खीरी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 85/21 धारा 279/304/184 एमवी एक्ट में वांछित अभियुक्त राजकुमार यादव पुत्र रविन्दर यादव नि0 कुकुराघाती थाना खमयार जनपद देवरिया को गिरफ्तार किया गया।
- थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा अ0सं0 357/16 धारा 26 वन अधि0 में वारंटी अभियुक्त बिन्नू पुत्र बंचर नि0 साहबगंज थाना मोहम्मदी जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा अ0सं0 1359/11 धारा 323/324/504 भादवि में वारंटी अभियुक्तों 1. वंशी 2. रमेश पुत्रगण शम्भर नि0गण थाना मैगलगंज जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना मैलानी पुलिस द्वारा अ0सं0 76/15 धारा 147/435/504/506 भादवि में वारंटी अभियुक्त श्रीकृष्ण लाल पुत्र रामप्रसाद नि0 महोलिया थाना मैलानी जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना सिंगाही पुलिस द्वारा अ0सं0 12/13 धारा 354 भादवि व 7/8 पॉक्सों एक्ट में वारंटी अभियुक्त रमेश पुत्र मनीराम नि0 मधुरापुर थाना सिंगाही जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना सिंगाही पुलिस द्वारा अ0सं0 772/19 धारा 427/506 भादवि में वारंटी अभियुक्त उस्मान पुत्र इब्राहिम नि0 बेगलता थाना सिंगाही जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।